

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग


क्रमांक: एफ 1(5) आ.प्र.एवं सहा/टिड्डी/2019/16337-64 जयपुर, दिनांक 29.12.2020

अधिसूचना

जिला कलक्टर बीकानेर एवं राजसमंद से प्राप्त खरीफ फसल 2020 (सम्वत् 2077) में कीट आक्रमण (टिड्डी) से खराबा होने की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा बीकानेर एवं राजसमंद जिले के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है उनको अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	बीकानेर	18
2.	राजसमंद	10
योग:-		28

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(आनन्द कुमार)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
11. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
15. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
16. संभागीय आयुक्त, बीकानेर, उदयपुर, राज.।
17. जिला कलेक्टर, बीकानेर, राजसमंद, राजस्थान।
18. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
19. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
20. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
21. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
22. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।

  
संयुक्त शासन सचिव